

(प्रपत्र-2)

जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का कार्यालय।

संख्यांक:-03

तारीख:-01.2.2019

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम् 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 07.05.2018 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, गंगाड़ीहबेड़ा, पोटका, जमशेदपुर को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम् 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों का पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और इन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जान्दे तक उपलब्ध Principal Manager

Netaji Subhas Public School  
Affiliated to CBSE Delhi

क्रुष्ण कृष्णपुरा-3  
में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को

Netaji Subhas Public S

Jamshedpur, E. Singhbhum-831002

अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित

## vii. प्रेस्जल सुविधा

viii. मिड-डे-पिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)

ix. बोधारहित पत्रुच

x. 10. अध्यापन पठन सामग्री क्रांति विद्यालय की समर्पकशी / प्रारंभिक विद्यालय की समर्पकशी

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रांति-रपतल का प्रयोग क्षेत्र शिक्षा प्रारंभिक विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यावसाय के समाज या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी भाईर अकाउटेंट द्वारा संपर्क की जानी आहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा संवित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रतीक्रिया वर्प जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपासित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के रूप में अनुदेशों का प्राप्त करेगा जो सामाजिक सम्बन्धों को सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण को कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1900 (1900 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होनी सांझारी द्वारा या वित्तसम्बंधीय विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोई सम्भावना नहीं है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस सम्भावना का उल्लेख किया जाय।

17. जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विद्यालय को समर्पित किया जाना जाएगा।

18. नेताजी सुभास पब्लिक स्कूल  
Principal: Mr. Gangadip Bera  
Netaji Subhas Public School  
Gangadip Bera, Haldipokhar  
Gdipur, E. Singhbhum-831002

जिला शिक्षा अधीक्षक।

जिला शिक्षा अधीक्षक।

मुख्य सिंहभूम, जमशेदपुर

01/05/19

मुख्य सिंहभूम, जमशेदपुर

नेताजी सुभास पब्लिक स्कूल  
नेताजी सुभास पब्लिक स्कूल  
गंगाधिप बेरा, हल्दिपोक्हर, ई. सिंहभूम-831002

5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में तोमांकत हेल्पर्सी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्फीनिग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूल तरीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन निष्ठित करेगा:
- विद्यालय किसी भी बालक को शास्त्रिय एवं सामाजिक देव नहीं दिया जाएगा;
  - किसी भी बालक को शास्त्रिय एवं सामाजिक देव नहीं दिया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायगी;
  - प्रारंभिक शिक्षा में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनुरूप नहीं की जायगी;
  - आलाक में प्रशाण-पत्र अदलन किया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंध में शतसांख्यिक नियमाला गलत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा;
  - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राज्यीय अध्यापक शिक्षाकार्यपाल द्वारा नियमित रूप से अनुरूप किया जायेगा तथा अध्यापक शिक्षाकार्यपाल द्वारा नियमित रूप से अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस नियमित रूप से अहतो, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाच बर्ष के भीतर ऐसी व्यवस्था अहतो अजित कर लेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
  - विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचयन के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
  - विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
  - विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

i. विद्यालय परिसर का भेत्रफल

ii. कुल निर्मित क्षेत्र

Manager

iii. जीवा-स्थल का क्षेत्रफल

Nataji Subhas Public School

Jeev-Sthal का क्षेत्रफल Nataji Subhas Public School

  
Principal  
Nataji Subhas Public School  
Haldipokhar